

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम-सिरोही(राज)

प्रार्थी

अप्रार्थी

1. रामाराम पुत्र श्री हिदारामजी  
जाति माली नि. वलदरा  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एकट

रा.प्रा.पत्र सं. 39 / 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
--------	----------------------------------	---

25-02-25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/116 दिनांक 23-02-2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा वलदरा के राजस्व रेकॉर्ड संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 226, 245 व 277 में रामलाल पुत्र हिंदा दर्ज है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर वारिसदार उपरोक्त तीनों खातों में रामलाल पुत्र हिंदा दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड में रामाराम पुत्र हिदाराम दर्ज है। ग्राम वलदरा में रामलाल पुत्र हिंदा व रामाराम पुत्र हिदाराम जाति माली निवासी वलदरा एक ही व्यक्ति है। इस नाम से ग्राम वलदरा में माली जाति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः मौजा वलदरा के राजस्व रेकॉर्ड संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 226, 245 व 277 में रामलाल पुत्र हिंदा के स्थान पर सही नाम रामाराम पुत्र हिदाराम किया जाना उचित होना बताया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एकट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि **वलदरा के राजस्व रेकॉर्ड संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 226, 245 व 277 में दर्ज गलत नाम रामलाल पुत्र हिंदा के स्थान पर सही नाम रामाराम पुत्र हिदाराम संशोधन कर** उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सिरोही (राज०)

